



2026:AHC-LKO:20694

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 2985 वर्ष 2026

रोमा स्मार्ट जोसेफ़

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, लखनऊ

एवं 4 अन्य

....

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: अजय प्रताप सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता अनुराग कुमार

सिंह,

पीयूष दीक्षित

न्यायालय संख्या-17

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय प्रताप सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी०के० सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष दीक्षित की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित तथा प्रतिवादी संख्या 2-लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार सिंह को सुना।

2. यह याचिका निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाओं की मांग करते हुए दाखिल की गई है।

"(i) उत्प्रेषण के प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए, विरोधी पक्षकार संख्या 5 अर्थात् डॉ० नीरजा मसीह की नियुक्ति, वर्तमान में इसाबेला थोबर्न महाविद्यालय, लखनऊ में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में, विरोधी पक्षकार संख्या 4 द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम संविधियों की संविधि 13.20 में निर्धारित 3 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् की गई, विरोधी पक्षकार संख्या 5 उक्त प्राचार्य पद हेतु आवश्यक अर्हता नहीं रखती हैं, को निरस्त किया जाए ; उक्त अभिलेख को उसके अभिरक्षक से तलब करने के पश्चात्।

(ii) परमादेश के प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए, विरोधी पक्षकारों, विशेष रूप से विरोधी पक्षकार संख्या 4 अर्थात् संस्थान की प्रबंधन समिति, अर्थात् इसाबेला थोबर्न महाविद्यालय, लखनऊ को निर्देशित किया जाए कि वे न्यायहित में याचिकाकर्ता सहित वरिष्ठतम एवं इच्छुक तथा पात्र ईसाई शिक्षकों में से कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति करें।

(iii) परमादेश के प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए, विरोधी पक्षकारों, विशेष रूप से विरोधी पक्षकार संख्या 4 अर्थात् संस्थान की प्रबंधन समिति, अर्थात् इसाबेला थोबर्न महाविद्यालय, लखनऊ को निर्देशित किया जाए कि वे न्यायहित में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संस्थान में कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार करें, यदि वरिष्ठता सूची के अनुसार याचिकाकर्ता से वरिष्ठ व्यक्तियों ने उक्त पद को त्याग दिया हो अथवा उसे धारण करने के लिए अनिच्छुक हों।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत संस्थान की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 6 पर है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि संस्थान में प्राचार्य का पद, श्रीमती पैंजी सिंह द्वारा, जो दिनांक 30.06.2025 को संस्थान की कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्यरत थीं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण करने के कारण रिक्त हो गया। एतदपश्चात्, प्रतिवादी संख्या 5-डॉ० नीरजा मसीह, जो वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 10 पर हैं, को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम संविधि के प्रस्तर 13.20 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, जब किसी संबद्ध महाविद्यालय में प्राचार्य का पद रिक्त हो जाता है, तो प्रबंधन किसी भी शिक्षक को तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित प्राचार्य की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त कर सकता है, यदि उक्त तीन माह की अवधि की समाप्ति तक कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त नहीं किया जाता है अथवा ऐसा प्राचार्य पद ग्रहण नहीं करता है, तो महाविद्यालय का वरिष्ठतम शिक्षक नियमित प्राचार्य की नियुक्ति होने तक ऐसे महाविद्यालय का कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य करेगा।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता जोरदार रूप से प्रस्तुत करते हैं कि डॉ० नीरजा मसीह महाविद्यालय की वरिष्ठतम शिक्षक नहीं हैं, तथापि उन्हें दिनांक 01.07.2025 को कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। संविधि के अनुसार, एक बार जब चयन प्रक्रिया तीन माह के भीतर पूर्ण नहीं की गई, तब प्रबंधन के लिए यह अनिवार्य था कि वह प्रश्नगत महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त करे। तथापि, जब संविधि का उल्लंघन किया जा रहा था, तब इस न्यायालय के समक्ष रिट-ए संख्या 13565 वर्ष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2025 दाखिल की गई, जिसमें दिनांक 24.11.2025 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 5-डॉ० नीरजा मसीह को सूचना जारी की गई। उक्त दिनांक 24.11.2025 के आदेश को चुनौती देते हुए, विशेष अपील (डी) संख्या 56 वर्ष 2026 भी दाखिल की गई, जिसका निस्तारण दिनांक 22.01.2026 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ किया गया कि उपर्युक्त याचिका को निर्णय हेतु सूचीबद्ध किया जाए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, तथापि, प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि उपर्युक्त याचिका विधिवत् प्रारूपित नहीं की गई थी, अतः उसे दिनांक 12 मार्च, 2026 को वापस लिए जाने के तौर पर निरस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि आज तक प्रबंधन समिति द्वारा संविधि 13.20 के प्रावधानों का अक्षरशः एवं भावार्थतः अनुपालन नहीं किया गया है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4-महाविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 की कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के उपरांत, प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 30.08.2024 को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई, जिसकी सूचना दिनांक 05.09.2024 को लखनऊ विश्वविद्यालय को दी गई तथा उस का दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अन्य अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने भी प्रश्नगत महाविद्यालय में प्राचार्य के पद हेतु दिनांक 07.09.2024 को आवेदन किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि एतदपश्चात्, दिनांक 02.12.2024 को लखनऊ विश्वविद्यालय के निबंधक को चयन समिति का पैनल उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसका अनुस्मारक दिनांक 10.11.2025 को दिया गया। उक्त पैनल विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.11.2025 को प्रदान किया गया तथा साक्षात्कार की तिथि दिनांक 09.12.2025 नियत की गई और इसकी सूचना अभ्यर्थियों को दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस बीच, दिनांक 21.11.2025 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रबंधन समिति के सचिव को एक प्रत्यावेदन दिया गया, जिसकी एक प्रति प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को भी प्रेषित की गई, इस अनुरोध के साथ कि नियमित चयन को रोका जाए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के उक्त आवेदन पर, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 06.12.2025 को आदेश पारित करते हुए चयन प्रक्रिया को रिट-ए संख्या 13565 वर्ष 2025 के विचाराधीन रहने तक स्थगित कर दिया गया।

6. प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन यह है कि याचिकाकर्ता के उपर्युक्त आवेदन पर अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के कारण नियमित चयन संपन्न नहीं किया जा सका। तथापि, चूंकि रिट-ए संख्या 13565 वर्ष 2025 वापस ले ली गई थी, अतः चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी, किन्तु इस बीच याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दाखिल कर दी गई। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया कि प्राचार्य के पद के लिए नियमित चयन प्रक्रिया केवल याचिकाकर्ता के कहने पर ही रोकी जा रही है और याचिकाकर्ता स्वयं नहीं चाहती हैं कि महाविद्यालय के प्राचार्य के पद की नियमित चयन प्रक्रिया संपन्न हो। प्रतिवादी संख्या 4- महाविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अंततः प्रस्तुत करते हैं कि प्रश्नगत महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर चयन प्रक्रिया, जो दिनांक 30.08.2024 को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुपालन में दिनांक 05.09.2024 को प्रारंभ की गई थी, को पूर्ण करने हेतु अवसर प्रदान किया जाए। प्रबंधन समिति की ओर से उपस्थित श्री संदीप दीक्षित द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों की छायाप्रतियां अभिलेख पर ली जाती हैं। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

7. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार सिंह प्रस्तुत करते हैं कि पूर्ववर्ती याचिका अर्थात् रिट-ए संख्या 13565 वर्ष 2025, जो याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई थी, में दिनांक 24.11.2025 के आदेश के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माध्यम से उनसे इस तथ्य के संबंध में शपथपत्र मांगा गया था कि अन्य पात्र शिक्षक महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्यवाहक प्रभार ग्रहण करने का दावा नहीं कर रहे हैं। तथापि, शपथपत्र दाखिल करने के स्थान पर, याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका वापस ले ली गई। यह भी इस न्यायालय द्वारा अवलोकित किया गया कि प्राचार्य के पद पर नियमित चयन हेतु साक्षात्कार दिनांक 09.12.2025 को नियत किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त याचिका में चयन प्रक्रिया पर कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया था। प्रतिवादी संख्या 2-विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान याचिका के प्रस्तर 11 में पुनः यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता से वरिष्ठ चार शिक्षक संस्थान के प्राचार्य के रूप में कार्यवाहन करने से त्याग करने की संभावना है, किन्तु उनके विशिष्ट नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

8. प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी०के० सिंह प्रस्तुत करते हैं कि वे चार शिक्षक, जिनके बारे में यह कहा गया है कि वे कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य करने से अनिच्छुक हैं, जैसा कि याचिका के प्रस्तर 11 में उल्लेखित है, उन्हें याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विरोधी पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा याचिका के अभिकथनों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि पूर्व में याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका संख्या 13565 वर्ष 2025 निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"i. उत्प्रेषण की रिट जारी करते हुए, विरोधी पक्षकार संख्या 5 की इसाबेला थोबर्न महाविद्यालय, लखनऊ में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में तीन माह की अवधि से अधिक अवैध निरंतरता को निरस्त किया जाए।

ii. परमादेश की रिट जारी करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 (उपकुलपति एवं आरएचईओ) को संविधि 13.20 का पालन सुनिश्चित करने तथा याचिकाकर्ता सहित किसी भी वरिष्ठतम इच्छुक एवं पात्र ईसाई शिक्षक को, यदि वरिष्ठ संकाय अपने स्वविवेक से कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य करने के प्रस्ताव का त्याग करें, तत्काल कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त करने हेतु निर्देशित किया जाए, जब तक कि प्राचार्य की नियमित नियुक्ति संपन्न न हो जाए।

iii. अधिकार-पृच्छा की रिट जारी करते हुए, प्रतिवादी संख्या 3, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (आरएचईओ), लखनऊ को यह कारण बताने हेतु निर्देशित किया जाए कि किस विधि एवं अधिकार के अंतर्गत उन्होंने एक अयोग्य कनिष्ठ शिक्षक की कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्ति की अनुमति प्रदान की तथा उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम संविधि के विधान 13.20 का पालन सुनिश्चित करने में क्यों विफलता की।

iv. आगे परमादेश की रिट जारी करते हुए, उत्तरदाताओं को विधि के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर प्राचार्य की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं उसे पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाए।

v. अंतरिम निर्देश जारी करते हुए, विरोधी पक्षकार संख्या 5 को प्राचार्य से संबंधित किसी भी प्रशासनिक, वित्तीय अथवा नियुक्ति संबंधी निर्णयों/कार्यों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि विश्वविद्यालय द्वारा रिट याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान तत्काल संविधि 13.20 का पालन कराया जाए।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. एतदपश्चात्, दिनांक 24.11.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

" प्रतिवादीसंख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष दीक्षित की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित प्रस्तुत करते हैं कि नियमित चयन प्रक्रिया प्रगति पर है तथा साक्षात्कार दिनांक 09.12.2025 के लिए निर्धारित है और संबंधित अभ्यर्थियों, जिसमें याचिकाकर्ता भी सम्मिलित है, को साक्षात्कार पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

प्रतिवादीसंख्या 5 को शीघ्र तिथि पर प्रत्यावर्तनीय सूचना जारी की जाए।

तीन दिवस के भीतर कार्यवाही की जाए।

प्रकरण को दिनांक 12.12.2025 को सूचीबद्ध किया जाए।

अगली तिथि पर, यदि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ऐसा चाहें, तो प्रतिवादी संख्या 6 से 8 के संबंध में, उनके द्वारा कार्यवहन प्रभार पर कोई दावा न होने के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। "

12. उपरोक्त आदेश को विशेष अपील (डी) संख्या 56 वर्ष 2026 में चुनौती दी गई, जिसका निस्तारण दिनांक 22.01.2026 के आदेश द्वारा किया गया, जो निम्नवत् है।

"1. अपील 14 दिनों से बिलंबित है। अपील दाखिल करने में बिलंब की क्षमा के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है।

2. आवेदन में उल्लिखित कारणों, शपथपत्र द्वारा समर्थित हैं, वह स्वीकार किया जाते हैं। अपील दाखिल करने में हुई विलंब को क्षमा किया जाता है।

3. यह अपील दिनांक 24.11.2025 को रिट-ए संख्या 13565 वर्ष 2025 में पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा उत्तरदाता संख्या 5 को सूचना जारी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किए जाने का आदेश दिया गया तथा वाद को दिनांक 12.12.2025 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया।

4. प्रस्तुत किया गया कि जब वाद दिनांक 24.11.2025 को न्यायालय के समक्ष आया, तब उत्तरदाता संख्या 4 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि नियमित चयन प्रक्रिया प्रचलन में थी तथा साक्षात्कार दिनांक 09.12.2025 को नियत था, जिस पर वाद को दिनांक 12.12.2025 तक स्थगित किया गया।

5. तथ्यात्मक रूप से, दिनांक 09.12.2025 को निर्धारित साक्षात्कार निरस्त कर दिया गया है और कोई नई तिथि निर्धारित नहीं की गई है और इस कारण, जिस कारण से उस चरण पर न्यायालय ने अंतरिम अनुतोष के लिए प्रार्थना पर विचार नहीं किया था, वह समाप्त हो गया है तथा एतदपश्चात् यद्यपि वाद दो अवसरों पर न्यायालय के समक्ष आया, तथापि, तथापि इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। यह निवेदन किया गया कि दिनांक 24.11.2025 के आदेश में या तो हस्तक्षेप किया जाए और/या यह निर्देश दिया जाए कि बदली हुई परिस्थितियों में उस पर नए सिरे से सुनवाई की जाए।

6. उत्तरदाता की ओर से दिनांक 24.12.2025 के आदेश के संबंध में अपील की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति उठाई गई है।

7. हमने पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है।

8. यह सत्य है कि यद्यपि दिनांक 24.11.2025 को पारित आदेश अपील योग्य नहीं था, तथापि यह तथ्य कि जिस कारण से प्रकरण को 12.12.2025 तक स्थगित किया गया था, अर्थात् 09.12.2025 को साक्षात्कार निर्धारित किया गया था, और वह साक्षात्कार निरस्त हो चुका है, अपीलकर्ता को केवल इस आधार पर कि साक्षात्कार 09.12.2025 को निर्धारित था, जो निरस्त हो गया, उसके प्रकरण के गुण-दोष पर विचार किए बिना उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, दिनांक 24.11.2025 के आदेश में हस्तक्षेप किए बिना यह निर्देशित किया जाता है कि रिट-ए संख्या 13565 वर्ष 2025 को माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष 6 फरवरी 2026 को नवीन रूप में सूचीबद्ध किया जाए।

10. दोनों पक्षकारों के समस्त तर्क खुले रखे जाते हैं।

11. इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाना वाद के गुण-दोष के संबंध में इस न्यायालय की अभिमत की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

12. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, अपील निस्तारित की जाती है।"

13. तत्पश्चात्, उपर्युक्त रिट याचिका को भी याची के अनुरोध पर दिनांक 12.03.2026 के आदेश द्वारा वापस लिए जाने के तौर पर निरस्त कर दिया गया, जो निम्नवत् है।

"श्री अजय प्रताप सिंह, याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि इस रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के तौर पर निरस्त किया जाए कि एक नवीन रिट याचिका दाखिल की जा सके।

विरोधी पक्षकारों के अधिवक्ताओं को उपर्युक्त निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना के अनुसार, रिट याचिका को उपर्युक्त मांगी गई स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के तौर पर निरस्त किया जाता है।"

14. यह अविवादित है कि प्रश्नगत महाविद्यालय के प्राचार्य के पद के लिए रिक्ति उत्पन्न हुई, जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 को दिनांक 01.07.2025 को कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु प्रबन्ध समिति द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को अनुरोध किया गया था और उक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2024 को अनुमति प्रदान की गई थी। एतदपश्चात्, विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर तथा दिनांक 05.09.2024

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर, नियमित प्राचार्य के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, जिसके लिए प्राचार्य के पद पर शिक्षकों ने आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.09.2024 को उक्त पद हेतु आवेदन किया। यह भी स्पष्ट है कि प्रबन्ध समिति के अनुरोध पर चयन समिति का पैनल विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.11.2025 को अनुमोदित किया गया तथा साक्षात्कार की तिथि 09.12.2025 निर्धारित की गई, जिसका उल्लेख इस न्यायालय द्वारा रिट-ए संख्या 13565 वर्ष 2025 में दिनांक 24.11.2025 को पारित आदेश में भी किया गया है। तथापि, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के स्थान पर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.11.2025 को चयन प्रक्रिया स्थगित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। उक्त याचिका दिनांक 12.03.2026 के आदेश द्वारा वापसी के तौर पर निरस्त की जा चुकी है। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता भी चाहता है कि प्रश्नगत महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर चयन संपन्न कराया जाए।

15. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रश्नगत महाविद्यालय के प्राचार्य के पद के लिए चयन प्रक्रिया एक माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जाए। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में अनुपालन का शपथपत्र दिनांक 04.05.2026 तक प्रस्तुत करें।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

23 मार्च, 2026

वीकेएस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।